न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 44/2023

उनवानी प्रार्थना पत्र:– निर्णय दिनांक :– 15/6/2023

1. खुशबू पुत्री शिवराज जाति मीणा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. प्रेम देवी पत्नी रामराज जाति मीणा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. राजाराम पुत्र रामराज जाति मीणा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. विष्णु पुत्र रामराज जाति मीणा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. शैतान पुत्र हरला जाति मीणा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. सचिन पुत्र शिवराज जाति मीणा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. शोभाग पुत्र हरला जाति मीणा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी–

उपस्थिति:–

श्री सुनील कुमार शर्मा — तहसीलदार देवली

अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए
बाबत किये जाने पत्थरगढी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 133 खसरा नम्बर 352 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। जिसके कारण मोके पर

Scanned with OKEN Scanner

एवं अड़ोस पड़ोस के खातेदारो के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को ...र गंभीर विवाद होने के संभावना उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। खातेदार रामी पत्नी शिवराज की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः— ग्राम कुशालपुरा के खाता संख्या 133 खसरा नम्बर 352 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 412 रकबा 0. 29 है0 भूमि आवेदक की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है एवं कब्जेकाश्त है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदारो से कोई सीमा विवाद नहीं है। उक्त आराजीमयात पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। आवेदक की भूमि की सीमाओं पर कोई भी राजकीय भूमि नहीं है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत <u>2072—2075</u> में अंकित खाता संख्या 133 खसरा नम्बर 352 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम कुशालपुरा

Scanned with OKEN Scanner

हसील देवली जिला टोंक राजस्थान में की विधिवत् पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner